File No. 12/39/2012-100PercentEOU

आज़ादी का अमृत महोत्सव	भारत सरकार वाणि ज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग विकास आयुक्त का कार्यालय नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर. भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग , विकास आयुक्त कार्यालय नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा दादरी रोड, चरण- II, नोएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर (यूपी)

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 06.01.2023 को अपराह्न 4.00 बजे श्री ए . बिपिन मेनन , विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई 100% ईओयू से सम्बंधित इकाई अनुमोदन समिति की पहली बैठक (2023 सीरीज) का कार्यवृत्त

ईओयू स्कीम हेतु इकाई अनुमोदन समिति की पहली बैठक (2023 सीरीज) दिनांक 06.01.2023 को श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा, एनएसईजेड की अध्यक्षता में संपन्न हुई.

बैठक, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई बैठक में इकाई अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र कुमार मलिक, संयुक्त वि का स आयुक्त
2. श्री कि रण मोहन मोहदि कर, उप वि का स आयुक्त
3. श्री चंचल कुमार तिवारी, उप आयुक्त, सीमाशुल्क लखनऊ
4. श्री शलभ गोयल, सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क लखनऊ
5. श्री चमन लाल, एफटीडीओ, कार्यालय अतिरिक्त डीजीऍफ़टी, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ,नई दिल्ली.

इसके अतिरिक्त, यूएसी की बैठक के दौरान यूएसी की सहायता के लिए श्री एच.के. मीना, सहायक विकास आयुक्त एवं श्री सुनील गुल्यानी, स्टेनोग्राफर भी उपस्थित थे.

2. अध्यक्ष महोदय द्वारा यूएसी के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया. तत्पश्चात, कार्यसूची पर विचार-विमर्श शुरू हुआ.

1.01. (2023) दिनांक 19.09.2022 को हुई इकाई अनुमोदन समिति की बैठक के मिनट्स का रैटफिकेशन

दिनांक 19.09.2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था , अतः दिनांक 19.09.2022 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्तों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया

सुरेंद्र मलिक

102. (2023) मैसर्स आधुनि क मैटेरियल एंड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड का ,प्लाट संख्या S- 2, उत्तर प्रदेश. डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कानपुर नोड, ग्रान-सरह, तहसील-नरवाल, जिला-कानपुर नागेर-209101 **तकनीकी वस्त्र (मानव निर्मित फिलामेंट्स के गैर-बुने हुए कपड़े)** के उत्पादन एवं निर्यात के लिए में ईओयू लगा ने का प्रस्ताव.

अनुमोदन समिति को सूचित कि या गया कि : -

1) मैसर्स आधुनि क मैटेरियल एंड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड ने Technical Textiles (तकनीकी वस्त्र (मानव निर्मित फिलामेंट्स के गैर-बुने हुए कपड़े) (HS Code 56031400) के उतपादन एवं निर्यात के लिए 100% ईओयू लगाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है जिसकी वार्षिक क्षमता 540000 kg है

2) <u>आवेदन और परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, इकाई के आवेदन में निम्नलिखित बिंदु पाए गए हैं: -</u>

a. इकाई ने तकनीकी वस्त्रों के निर्माण के लिए आईडीआर (IDR) अधिनियम के तहत औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण पर अवर सचिव, औद्योगिक लाइसेंसिंग अनुभाग, डीपीआईआईटी द्वारा जारी एक पत्र फाइल संख्या 2(17)2021-आईएल दिनांक 09.08.2021 प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि कपड़ा और कपड़े जब तक वे बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं, दोनों लाइसेंस रहित हैं।

b. किसी विदेशी तकनीकी की आवश्यकता नहीं है;
c. इकाई तैयार माल का निर्यात करेगी और साथ ही अपनी सहयोगी संबंधित इकाइयों को आपूर्ति करेगी;
d. पहले पांच वर्षों के लिए निर्यात का एफओबी (FOB) मूल्य 34831.63 लाख रुपये और एनएफई (NFE) 4367.07 लाख रुपये होगा;
e. इकाई ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) से 3.0 हेक्टेयर की भूमि पट्टे पर ली है।
f. इकाई 50 लोगों को रोजगार देगी।
g. संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश 2913.41 लाख रुपये होगा, जिसमें से 2678.41 लाख रुपये का आयात किया जाएगा और 235.00 लाख रुपये की स्वदेशी खरीद की जाएगी।
h. परियोजना दो चरणों में पूरी होगी और परियोजना की कुल लागत 4623.00 लाख रुपये होगी, जिसमें से 2723.00 लाख रुपये सावधि ऋण, 1300.00 लाख रुपये असुरक्षित ऋण और 500/- लाख शेयर पूंजी होगी।
i. एमईपीजेड (MEPZ), वाइजैग (VIZAG), फॉल्टा (FALTA) और सीप्ज एसईजेड (SEEPZ SEZ) से पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई है और कुछ भी प्रतिकूल नहीं देखा गया है।

सुरेंद्र मलिक

3) इकाई से, श्री नीरज गुप्ता, परियोजना प्रमुख और श्री विनोद मिश्रा, एजीएम ने बैठक में भाग लिया। उन्होंने अनुमोदन समिति को सूचित किया कि:-

i. इकाई के संस्थापक श्री मनोज गुप्ता और श्रीमती वंदना गुप्ता के पास विविधीकृत उद्योग और व्यवसाय चलाने का 35 वर्षों का अनुभव है।

ii. वर्तमान में तकनीकी वस्त्र भारत में आयात किए जा रहे हैं और भारत में निर्मित नहीं किए जा रहे हैं; वही यूरोप से आयात किया गया है।

iii. एचएस कोड का जीएसएम 150 जीएसएम से अधिक है।

iv. वे अपनी सहयोगी इकाई एमकेयू लिमिटेड को निर्यात के साथ-साथ आपूर्ति भी करेंगे;

v. इकाई ने कहा है कि भारतीय रक्षा बलों में तकनीकी वस्त्रों की उच्च मांग और आपूर्ति के अंतर को देखते हुए, महत्वपूर्ण कमी के साथ, इस मुद्दे को जल्द से जल्द दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए इकाई के संस्थापक ने जिरह बकतर (बॉडी आर्मर, बुलेट प्रूफ जैकेट), वाहन कवच पैनल (व्हीकल आर्मर पैनल्स), बैलिस्टिक शील्ड और अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले तकनीकी वस्त्रों के निर्माण में प्रवेश करने का एहसास किया है। इकाई निम्नलिखित के निर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही है: -

अल्ट्रा-हाई आणविक भार पॉलीइथाइलीन (UHMW-PE) एक दिशा (UD) कपड़े, जिनका उपयोग बैलिस्टिक सुरक्षा अनुप्रयोगों के विस्तृत स्पेक्ट्रम में किया जाता है। इस तरह के कपड़े थर्मोप्लास्टिक / थर्मोसेट मैट्रिक्स में पॉलीथीन फाइबर को जोड़ते हैं जो उच्च प्रभाव वाली ऊर्जा को अवशोषित करने और फैलाने में सक्षम होते हैं, जैसे कि राइफल शॉट्स से ऊर्जा। प्रत्येक कपड़े की परत में $0^0/90^0$ या बहु अक्षीय दिशा में क्रॉस-प्लाइड फाइबर टो की बहुपरत होती है।

एक दिशा (UD) एरमिड कपड़े का उपयोग बैलिस्टिक सुरक्षा अनुप्रयोगों के व्यापक स्पेक्ट्रम में किया जाता है। इस तरह के कपड़े एक लचीले थर्मोप्लास्टिक मैट्रिक्स में एरमिड फाइबर को मिलाते हैं जो उच्च प्रभाव वाली ऊर्जा को अवशोषित करने और फैलाने में सक्षम होता है, जैसे कि राइफल शॉट्स से ऊर्जा। फोरप्लाई फैब्रिक लेयर में $0^0/90^0$ पर क्रॉस-प्लाई किए गए फाइबर टेप होते हैं, जिसमें दोहरी परतें में $0^0/90^0$ पर क्रॉस-प्लाई फाइबर टेप होते हैं

4) <u>इकाई ने कहा है कि निर्यात का उनका गंतव्य 100% जीसीए है।</u>

सुरेंद्र मलिक

5) **एक अधिकारी द्वारा परियोजना स्थल का निरीक्षण:** परियोजना स्थल की निरीक्षण रिपोर्ट के लिए अनुरोध नोएडा में क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क प्राधिकरण को भेजा गया था। पत्र सी संख्या VIII (96)/ईपीसी/सीयूएस/केएनपी/ईओयू/आधुनिक/12/2022/646-647 दिनांक 16.11.2022 द्वारा इस कार्यालय को संबोधित साइट निरीक्षण रिपोर्ट से संबंधित एक पत्र तैयार किया गया था जिसके अनुसार परियोजना के लिए 100% ईओयू स्थापित करने की सिफारिश की गई है। पत्र श्री रमाकांत तिवारी, उपायुक्त, ईपी सर्कल, कानपुर द्वारा विधिवत जारी किया गया है। सीमा शुल्क के प्रतिनिधि ने इसकी सत्यता की पुष्टि की है और अनुमोदन समिति ने इसे स्वीकार कर लिया है।

6) समिति ने परियोजना पर विचार किया और सर्वसम्मति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन परियोजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया:-

a) व्यापारी निर्यातकों या व्यापारियों को डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी

b) यदि वे घरेलू निर्माता को डीटीए बिक्री या डीम्ड एक्सपोर्ट के रूप में तैयार माल की आपूर्ति कर रहे हैं, जो स्तर III (एनआईजे 0101.06, जुलाई 2008 या राष्ट्रीय समकक्ष और ऊपर) से अधिक के साथ बैलिस्टिक उपकरणों का निर्माण कर रहा है, तो ऐसे निर्माता के पास औद्योगिक लाइसेंस होना चाहिए

c) इकाई को इस आशय का एक नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वे ऐसे कपड़ों का निर्माण नहीं करेंगे जो स्वयं स्तर III (एनआईजे 0101.06, जुलाई 2008 या राष्ट्रीय समकक्ष और ऊपर) की बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे दिनांक 01.01.2019 के 2019 के प्रेस नोट 1 के अनुसार आईडीआर अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस योग्य हैं।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेन्द्र कुमार मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

ए बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त